

आज दिनांक-03.02.2022 (गुरुवार) को अपराह्न 12.15 बजे संपन्न हुई स्थानीय प्रबंधन समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 21 वीं बैठक की कार्यवाही :-


संदर्भ : विद्यालय पत्रांक -112, दिनांक-02.02.2022


1. उपस्थिति :- बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए :-


क्र.सं.	नाम	स्थानीय प्रबंधन समिति में धारित पद	उपस्थिति
1	डॉ० संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	अध्यक्ष	उपस्थित
2	श्री विंध्याचल पाण्डेय, सह-शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य	उपस्थित
3	श्री उदय कुमार मरांडी, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य	उपस्थित
4.	श्री रौशन कुमार बक्शी, प्र० पदा०, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	सदस्य	उपस्थित


02. प्राचार्य, सह-अध्यक्ष, स्थानीय प्रबंधन समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-147/रांची, दिनांक-02.02.2022 के आलोक में राज्य के सभी विद्यालयों को दिनांक-04.02.2022 के प्रभाव से खोला जाना निदेशित है। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि वर्तमान में विद्यालय में शिक्षकों की काफी कमी है, रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है; परंतु नेतरहाट विद्यालय समिति के पुनर्गठन नहीं होने से नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है; वैसे में छात्रों के अगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए कुछेक विषयों में संविदा के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों का प्रतिनियोजन आवश्यक दीख पड़ता है। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि नवोदय विद्यालय समिति के संयुक्त आयुक्त के पत्रांक-Per-14016/2/2020. Estt./17781-18461, दिनांक-31.03.2021 (छयाप्रति संलग्न) के माध्यम से निर्गत परिपत्र में संविदा अधारित शिक्षकों के प्रतिनियोजन हेतु निर्धारित मानदेय का उल्लेख है। तदनुसार, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का सम्यक् विचार हुआ कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निर्धारित मानदेय के आलोक में संविदा शिक्षकों के प्रतिनियोजन हेतु खुली विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाय। तदनुसार, एक निर्धारित तिथि अर्थात् 21, 22, 24 एवं 25 फरवरी को नेतरहाट में अंतर्वीक्षा की तिथि निर्धारित की जा सकती है। सदस्यों का यह भी अभिमत रहा कि तत्काल अत्यावश्यक विषयों में ही शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया जाय। तदनुसार, सम्यक् विचारोपरांत अंग्रेजी में-02, हिन्दी में-01, संस्कृत में-01 एवं सामाजिक विज्ञान में-01 शिक्षकों के अंतर्वीक्षा हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की योग्यता में अनिवार्य योग्यता के रूप में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ बी.एड अवश्य होना चाहिए साथ ही शिक्षक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में सक्षम हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इन बिंदुओं को समाहित करते हुए एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

  
(रौशन कु० बक्शी)  
सदस्य, स्थानीय प्रबंधन समिति

  
(उदय कुमार मरांडी)  
सदस्य, स्थानीय प्रबंधन समिति

  
(विंध्याचल पाण्डेय)  
सदस्य, स्थानीय प्रबंधन समिति

  
(डॉ० संतोष कुमार सिंह)  
अध्यक्ष  
स्थानीय प्रबंधन समिति